

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-3/62/2013/32
प्रति,

भोपाल, दिनांक /07/2017

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :- मण्डीदीप विकास योजना 2031 का प्रारूप प्रकाशन ।

उपरोक्त विषय में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की हिन्दी की अधिसूचना दिनांक 11/07/2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग से असाधारण राजपत्र की अनुमति दिनांक 11/07/2017 की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त सूचना को असाधारण राजपत्र में दिनांक 11/07/2017 को प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियाँ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।
संलग्न : यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भोपाल, दिनांक 11/07/2017

पृ0क्रमांक-एफ-3/62/2013/32

प्रतिलिपि:-

आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की और सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त सूचना को नगर तथा ग्राम निवेश की वेबसाईट पर आज प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

Sujata

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
11/07/17

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

// सूचना //

भोपाल, दिनांक 11/07 /2017

क्रमांक एफ-3-62/2013/32 :- एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत मण्डीदीप निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2031 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-19 उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 11/07/2017 को प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptownplan.nic पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालवधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

1. अवर सचिव, म0प्र0 शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल-सीहोर-रायसेन।

1. प्रारूप विकास योजना मंडीदीप 2031 की पुस्तिका में प्रस्तावना, अध्याय-1, कंडिका-1.2, 1.3, 1.6, सारणी-1-सा-3, 2-सा-2, कंडिका-2.6.2, 2.10, सारणी 4-सा-1, कंडिका-4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4, 4.10.6, 4.10.7, 5.3, 5.5.1, 5.5.2, 6.8, 6.13, 7.1 तथा सारणी-7-सा-1 में टंकण त्रुटियाँ सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

2. उपांतरण का विवरण

(क) सारणी 1-सा-2, सारणी 4-सा-3, सारणी 4-सा-4, सारणी 6-सा-6, सारणी 6-सा-7, सारणी 6-सा-8, सारणी 6-सा-15 में उपांतरण किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) प्रारूप विकास योजना मंडीदीप 2031 के कंडिका 6.8.4, कंडिका 6.9.1, सारणी 6-सा-14, सारणी 6-सा-15 के स्थान पर नई कंडिका 6.8.4, कंडिका 6.9.1, सारणी 6-सा-14, सारणी 6-सा-15 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

3. प्रस्ताव का विस्तृत विवरण www.mptownplan.nic पर अवलोकन किया जा सकता है।

4. उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सी. के. साधव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

// सूचना //

भोपाल, दिनांक 11/07/2017

क्रमांक एफ-3-62/2013/32 :- एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत मण्डीदीप निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2031 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-19 उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाइड www.mptownplan.nic पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

1. अवर सचिव, म0प्र0 शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल-सीहोर-रायसेन।

अधिसूचना में वर्णित प्रस्ताव

(अ.) प्रारूप विकास योजना मण्डीदीप 2031 की पुस्तिका में कतिपय स्थानों पर टंकण/मुद्रण त्रुटियों परिलक्षित हुई हैं, जिन्हें अंतिम विकास योजना की पुस्तिका में सुधार किया जाना आवश्यक है। ये टंकण/मुद्रण त्रुटियाँ निम्नानुसार है :-

1. प्रस्तावना की दसवीं पंक्ति में जनसंख्या --- "1,35,000" पढ़ा जाये ।
2. अध्याय-एक के स्थान पर अध्याय-1 पढ़ा जावे ।
3. अध्याय-एक कंडिका 1.2 निवेश क्षेत्र के छठवीं पंक्ति में नगर पालिका की जनसंख्या 59677 है के पश्चात "तथा संपूर्ण निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 79053 है" प्रतिस्थापित किया जाता है ।
4. अध्याय एक कंडिका 1.3 (स) नादूर के चौथी पंक्ति में माजताल के स्थान पर "भोजताल" पढ़ा जाये ।
5. अध्याय-एक के कंडिका 1.6 जनसंख्या परिवर्तन के छठवीं पंक्ति में 59677 के स्थान पर "79053" पढ़ा जाये ।
6. सारणी 1-सा-3 के स्थान के पंक्ति 5 के कॉलम 3 में जनसंख्या 59677 के स्थान पर "79053" पढ़ा जाये ।
7. अध्याय-2 के कंडिका 2.4 की सारणी 2-सा-2 के पश्चात कंडिका की छठवीं पंक्ति में 2.06 के स्थान पर "2.05" पढ़ा जाये ।

8. अध्याय-2 के कंडिका 2.6.2 दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के प्रथम पंक्ति में 557 के स्थान पर "435" पढ़ जाये ।
9. अध्याय-2 के कंडिका 2.10 आमोद प्रमोद के प्रथम पंक्ति में 2.06 के स्थान पर "2.05" पढ़ा जाये ।
10. सारणी 4-सा-1 के क्रमांक-1 के कॉलम 3 में 59677 के स्थान पर "79503", क्रमांक-2 के कॉलम 4 में 40349 के स्थान पर "20947" एवं कॉलम 5 में 94657 के स्थान पर "114053" एवं क्रमांक 5 के कॉलम 4 में 5072 के स्थान पर "6719" पढ़ा जावे ।
11. अध्याय-4 के कंडिका 4.10.1 आवासीय के चौथी पंक्ति में 954.86 के स्थान पर "967.46", छठवीं पंक्ति में 32.80 के स्थान पर "33.34" एवं आठवीं पंक्ति में 141 के स्थान पर " " पढ़ा जाये ।
12. अध्याय-4 के कंडिका 4.10.2 वाणिज्यिक के छठवीं पंक्ति में 151.62 के स्थान पर "136.60" तथा सातवीं पंक्ति में 5.20 के स्थान पर "4.71" पढ़ा जाये ।
13. अध्याय-4 के कंडिका 4.10.2 वाणिज्यिक (5) यातायात एवं मैकेनिक नगर के प्रथम पंक्ति में 36.26 के स्थान पर "20.23" पढ़ा जाये ।
14. अध्याय-4 के कंडिका 4.10.3 औद्योगिक के प्रथम पंक्ति में 1533.15 के स्थान पर "1588.30" तथा द्वितीय पंक्ति में 52.66 के स्थान पर "54.73" पढ़ा जाये ।
15. अध्याय-4 के कंडिका 4.10.4 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक के प्रथम पंक्ति में 11.50 के स्थान पर "13.32" पढ़ा जाये ।
16. अध्याय-4 के कंडिका 4.10.6 आमोद-प्रमोद के चौथी पंक्ति में 147.30 के स्थान पर "116.26" तथा पाँचवी पंक्ति में 5.06 के स्थान पर "4.01" पढ़ा जाये ।
17. अध्याय-4 के कंडिका 4.10.7 यातायात एवं परिवहन के तृतीय पंक्ति में 56.18 के स्थान पर "24.88" एवं 1.93 के स्थान पर "0.86" पढ़ा जाये ।
18. अध्याय-5 के कंडिका 5.3 नगरीय परिभ्रमण संरचना के प्रथम पंक्ति में 86 के स्थान पर "12" पढ़ा जाये ।
19. अध्याय 5 के कंडिका 5.5.1 बस स्थानक के चौथी पंक्ति में ग्राम सराकिया के पश्चात निम्न जोड़ा/प्रस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
"वार्ड क्रमांक-12 (मंडीदीप नगर)"
20. अध्याय-5 के कंडिका 5.5.2 ट्रक स्थानक के द्वितीय पंक्ति में 36.26 के स्थान पर "33.26" पढ़ा जाये ।
21. अध्याय-6 के कंडिका 6.8 वाणिज्यिक क्षेत्र, के प्रथम पंक्ति में "दर्शाया गया" के स्थान पर "स्वा" पढ़ा जाये ।
22. अध्याय-6 के कंडिका 6.13 में संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन की पाँचवी पंक्ति में 2012 के पश्चात "नियम 50 (स्व)" जोड़ा जाना प्रस्तावित है ।
23. अध्याय-7 के कंडिका 7.1 के द्वितीय पंक्ति में 75359.10 के स्थान पर "66867.10" तथा तृतीय पंक्ति में 1200.91 के स्थान पर "1192.10" पढ़ा जाये ।
24. अध्याय-7 के सारणी 7-सा-1 के स्थान पर निम्न सारणी पढ़ी जाये :-

मंडीदीप : योजना क्रियान्वयन की लागत

7-सा-1

क्रमांक	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			भू अर्जन लागत (रुपये 10.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से)	अर्जित भूमि के प्रतिशत			कुल लागत (रुपये लाखों में)
		3	4	5		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(6+9)
1.	आवासीय	413.77	967	553.63	5536.9	332.21	75	24916.1	30452.95
2.	वाणिज्यिक	130.83	136.6	5.77	57.7	3.46	85	294.27	351.97
3.	औद्योगिक	1083.44	1588.3	504.86	5048.6	302.92	85	25747.9	30796.46
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	11.50	53.63	421.3	421.3	25.28	75	1895.85	2317.15
5.	सार्वजनिक सुविधायें एवं सेवायें	13.32	15.06	17.4	17.4	1.04	75	78.3	95.7
6.	आमोद प्रमोद	35.11	116.2640	811.5	811.5	48.69	40	1947.6	2759.1
7.	यातायात एवं परिवहन	22.12	24.88	27.6	27.6	1.66	40	66.24	93.84
	योग	1710.09	2902.2	1192.1	1192.1	715.26		54955.2	66867.15



(ब.)

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (2) में राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित उपांतरण

1. सारणी 1-सा-2 के स्थान पर निम्न तालिका पढ़ी जाये :-
मंडीदीप- नगर पालिका आय व्यय

1-सा-2

वर्ष	कुल आय	कुल व्यय
1	2	3
2009-10	4,53,54,207	6,61,46,404
2010-11	7,94,34,055	7,83,31,254
2011-12	17,99,04,526	9,17,76,491
2012-13	12,05,46,825	8,30,28,389

(स्रोत : नगर पालिका परिषद मंडीदीप)

सारणी से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में नगर पालिका की आय-व्यय में वृद्धि हुई है किन्तु वर्ष 2012-13 में आय में कमी आयी है । समृद्ध आर्थिक स्वरूप हेतु आय के स्रोतों में वृद्धि के सुझाव जुटाना उपयुक्त होगा ।

2. सारणी 4-सा-3 के स्थान पर निम्न सारणी पढ़ी जाये :-

मंडीदीप : प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू आवंटन 2031

4-सा-3

क्रमांक	भू उपयोग प्रकार	वर्तमान			अतिरिक्त	प्रस्तावित 2031		
		क्षेत्रफल हेक्टेयर	प्रतिशत	भूमि उपयोग दर		क्षेत्रफल हेक्टेयर	प्रतिशत	भूमि उपायोग दर
1.	आवासीय	413.77	24.19	3.06	541.09	967.46	33.34	7.17
2.	वाणिज्यिक	130.83	7.65	0.96	20.79	136.60	4.71	1.01
3.	औद्योगिक	1083.44	63.35	8.00	449.71	1588.30	54.73	11.77
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	13.32	0.17	0.09	42.13	53.63	1.85	0.40
5.	सार्वजनिक सेवा एवं सुविधाएं	11.50	0.67	0.08	1.74	15.06	0.52	0.11
6.	यातायात एवं परिवहन	22.57	1.32	0.16	33.26	24.88	0.86	0.18
7.	आमोद-प्रमोद	35.11	2.05	0.26	112.19	116.26	4.01	0.86
	योग	1710.54	100	12.54	1200.91	2902.19	100	21.50

3. सारणी 4-सा-4 के स्थान पर निम्न सारणी पढ़ी जाये :-

मंडीदीप : निवेश इकाईवार भू उपयोग विवरण (विकसित क्षेत्र)


4-सा-4

निवेश इकाई क्रमांक	आवासीय हेक्टेयर में	वाणिज्यिक हेक्टेयर में	औद्योगिक हेक्टेयर में	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक हेक्टेयर में	सार्वजनिक सेवायें एवं उपयोगितायें हेक्टेयर में	आमोद प्रमोद हेक्टेयर में	यातायात हेक्टेयर में	योग हेक्टेयर में
नि.इ.क. -1	529.04	60.48	475.10	8.10	9.04	90.15	13.28	1185.20
नि.इ.क. -2	438.41	76.12	1113.2	45.53	6.02	26.11	11.60	1716.99
नि.इ.क. -3	967.46	136.6	1588.3	53.63	15.06	116.26	24.88	2902.19

4. अध्याय-6 के कंडिका 6.8.4 होटल हेतु मापदण्ड के सरल क्रमांक-3 में 12 मीटर के पश्चात निम्न जोड़ा जाना/प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
“मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 एवं सहपठित नियम 57 के अनुरूप होंगे।”
5. अध्याय-6 के कंडिका 6.8.4 औद्योगिक. परिक्षेत्र के बिन्दु क्रमांक-3 में विकास के मानदण्ड के पश्चात निम्न जोड़ा जाना/प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
“मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 अनुसार होंगे।”
6. अध्याय-6 की सारणी 6-सा-6 तथा उसके नीचे दर्शित टिप्पणी को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है ।
7. अध्याय-6 की कंडिका 6.9 अन्य सुविधायें- अभिन्यासों की व्यवस्था सारणी के पश्चात् म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 जोड़ा जाये।
8. अध्याय-6 की सारणी 6-सा-7 तथा उसके के नीचे दर्शित टिप्पणी को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है ।
9. अध्याय-6 के कंडिका 6.9.1 शापिंग माल की स्थापना के प्रथम पंक्ति में स्थापना के लिए के मापदण्ड के पश्चात निम्न जोड़ा जाना/प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
“मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य होंगे।”
10. अध्याय-6 की सारणी 6-सा-8 उसके नीचे दर्शित (2) “पार्किंग क्षेत्र की गणना” को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है ।
11. सारणी 6-सा-14 को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
“मंडीदीप- पार्किंग से संबंधित मानक/मापदण्ड मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 84 के अनुसार मान्य होंगे।”
12. सारणी 6-सा-15 के क्रमांक-7 के कॉलम 4 में तकनीकी शिक्षा से संबंधित समस्त गतिविधि के पश्चात निम्न जोड़ा जाना/प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
“आश्रम एवं गौशाला”

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त प्रस्तावित उपांतरणों के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय, भोपाल को/में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार



(सी. के. साधव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग